



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235552
CG-DL-E-05052022-235552

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1981]
No. 1981]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2022

का.आ. 2082(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के भीतर, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (932 का 9) की धारा 56, धारा 57 की उप-धारा (1), धारा 58 की उप-धारा (3) और धारा 71 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. 12011/21/2022- एल]

मनीष तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2022

S.O. 2082(E).—In pursuance of the power conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers and functions of the State Government under section 56, sub-section (1) of section 57, sub-section (3) of section 58 and sub-sections (1) and (2) of section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Lieutenant Governor of the Union territory of Ladakh within the Union territory of Ladakh.

[F. No. 12011/21/2022-L]

MANISH TIWARI, Jt. Secy.